भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2277 जिसका उत्तर

शुक्रवार, 12 दिसंबर, 2025/21 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया जाना है

आंध्र प्रदेश में समुद्री परिवहन हेतु संभार तंत्र संबंधी केंद्र

† 2277. श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी :
श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी :

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूर्वी तट पर अपनी सामरिक स्थिति तथा पत्तनों, अंतर्देशीय जलमार्गों और कार्गो हैंडलिंग की संभावना को ध्यान में रखते हुए आंध्र प्रदेश को एक प्रमुख संभार तंत्र केंद्र के रूप में विकसित करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई वित्तीय एवं तकनीकी सहायता का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्र सरकार ने पत्तनों, अंतर्देशीय जलमार्गों तथा अन्य संबंधित सुविधाओं सहित अवसंरचना विकास के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने हेतु राज्य सरकार के साथ समन्वय किया है; और

(घ) विशेष रूप से अंतर्देशीय एवं समुद्री परिवहन से संबंधित संभार तंत्र संबंधी लागत को कम करने हेतु आंध्र प्रदेश को डिजिटल संभार तंत्र प्लेटफ़ॉर्म के रूप में विकसित करने एवं उसे सुव्यवस्थित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री

(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) और (ख): सागरमाला कार्यक्रम के तहत, आंध्र प्रदेश राज्य में पत्तन आधारित औद्योगिकीकरण, पत्तन आधुनिकीकरण, पत्तन संपर्कता बढ़ाने, तटीय समुदाय विकास, तटीय पोत परिवहन और अंतर्देशीय जलमार्ग से संबंधित अवसंरचना को बढ़ाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की 110 परियोजनाएँ चिन्हित की गई हैं। ये परियोजनाएँ केंद्रीय मंत्रालयों, अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राज्य सरकार और विशाखापट्टणम पत्तन प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं।

सागरमाला योजना के तहत, केंद्र सरकार, पत्तन अवसंरचना, सड़क और रेल संपर्कता, मछली पकड़ने की बंदरगाह, कौशल विकास, तटीय समुदाय विकास, क्रूज टर्मिनल और रो-पैक्स फेरी सेवाओं के लिए अवसंरचना से संबंधित परियोजनाओं के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। केंद्रीय सरकार आंध्र प्रदेश राज्य में 1,286 करोड़ रुपए की लागत से 9 परियोजनाओं को आंशिक रूप से वित्तपोषित कर रही है। सागरमाला योजना के तहत आंध्र प्रदेश राज्य को जारी की गई निधि का वर्षवार विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(ग): केंद्रीय सरकार की पहल पर, आंध्र प्रदेश राज्य ने समुद्री एवं जलमार्ग परिवहन समिति (एसएमडब्ल्यूटीसी) का गठन किया है ताकि समुद्री क्षेत्र में विभिन्न पहलों और योजनाओं का समन्वय और कार्यान्वयन किया जा सके। इसका उद्देश्य विभिन्न पहलों का समन्वय करना और राज्य और केंद्रीय एजेंसियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है ताकि राज्य में समुद्री और जलमार्ग परिवहन का व्यापक विकास सुनिश्चित किया जा सके। केंद्र सरकार ने केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री की अध्यक्षता में समुद्री राज्य विकास परिषद (एमएसडीसी) का भी गठन किया है, जिसमें सभी तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पत्तनों के प्रभारी मंत्री और संबंधित मंत्रालयों के मंत्री सदस्य के रूप में शामिल हैं, ताकि समुद्री क्षेत्र में अवसंरचना के विकास की प्रगति की नियमित अंतराल पर समीक्षा की जा सके।

(घ): सरकार ने एक ही जगह ऐसा मंच प्रदान करने के विजन से राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल मरीन (सागर सेतु) लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके महापत्तनों सहित लॉजिस्टिक समुदाय के सभी हितधारकों को जोड़ना है यह पहल लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने, व्यापार करने में आसानी को बढ़ाने, पत्तन की दक्षता बढ़ाने और पूरे समुद्री आपूर्ति श्रृंखला में निर्बाध समन्वय को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई है।

अनुबंध

सागरमाला स्कीम के तहत आंध्र प्रदेश राज्य को जारी किए गए फंड का वर्ष-वार ब्यौरा :

(आंकड़े करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	परियोजना लागत (करोड़ में)	एमओपीएसडब्ल्यू शेयर (करोड़ में)	स्वीकृति की तिथि	2014-15	2016-17	2017-18	2018-19	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
1	विशाखापट्टणम मत्स्यन हार्बर का आधुनिकीकरण	178.51	40.00	30.03.22	-	-	-	-	-	-	-	-	25	15
2	तटीय जिला कौशल विकास कार्यक्रम - चरण 2 - आंध्र प्रदेश	5.98	5.98	12.03.19				5.9817						
3	वीपीटी पर तटीय	43.00	30.00	01.04.14	30									

	बर्थ का निर्माण													
4	कॉन्वेंट जंक्शन से होते हुए एच-7 क्षेत्र से पत्तन संपर्कता रोड तक ग्रेड सेपरेटर का निर्माण - विशाखापट्टणम पत्तन	46.34	23.17	27.02.17		14.98							8.19	
5	विशाखापट्टणम पत्तन पर रा.रा.-5 से पत्तन सड़क संपर्कता को 2 से 4 लेन का बनाना।	77.00	20.00	13.12.15	20									
6	तटीय जिलों के कौशल विकास कार्यक्रम - चरण I - आंध्र प्रदेश	0.28	0.14	28.07.16		0.14								
7	समुद्री और पोत निर्माण उत्कृष्टता केंद्र -सीईएमएस –	574.00	37.51	30.10.17			18.76	15.01	2.52					

	आं.प्र.- आं.प्र. में 24 प्रयोगशालाओं में से 18													
8	आंध्र प्रदेश राज्य के एसपीएसआर नेल्लोर जिले के जुव्वालादिन्ने में मत्स्यन हार्बर का विकास।	288.00	69.14	18.03.20					18.05	18.05	26.13		3.45	3.4645
9	आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में काकीनाडा एंकरेज पोर्ट्स के अवसंरचना में सुधार	73.34	36.67	02.06.21							18.34	11	7.33	
		1286.45	262.62	-	50.00	15.12	18.76	20.99	20.57	18.05	44.47	11.00	43.97	18.46

*****